<u>उत्तर प्रदेश विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों हेतु आयोजित होने वाले प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष के उपयोगार्थ उद्घाटन भाषण</u>

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री सतीश महाना जी;
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी;
माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी,
माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अखिलेश यादव जी;
उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्यगण;
लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी,
उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, देवियो और सज्जनो!

----

1. देश की राजनैतिक और सांस्कृतिक हृदयस्थली उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के पावन तट पर स्थित ऐतिहासिक नगरी लखनऊ में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

2. प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इस प्रदेश का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ।

3. नवगठित उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ी आशाओं, अपेक्षाओं और विश्वास के साथ आपको विधान सभा में चुनकर भेजा है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप प्रदेश की जनता की, और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करें।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। मुझे आशा है कि यह सरकार लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी और वे विधान सभा के नेता के रूप में सभी दलों को साथ लेकर प्रदेश के समावेशी विकास के लिए काम करेंगे।

4. मैं अठारहवीं विधान सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी का भी अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका साधुवाद। उत्तर प्रदेश में ख्यातिप्राप्त एवं विद्वान अध्यक्षगणों के अध्यक्षपीठ पर आसीन होने की परंपरा रही है। आप उसी उत्कृष्ट

परंपरा के सुयोग्य वाहक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके व्यापक ज्ञान और सदन के अंदर आपके दीर्घ अनुभव से माननीय सदस्य लाभान्वित होंगे और उन्हें आपका सतत् मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

5. उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधान सभा कई मायनों में अभूतपूर्व है। इस विधान सभा में 47 महिला सदस्य निर्वाचित होकर आईं हैं, जो अब तक राज्य में महिला सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है। इस विधान सभा में 100 से अधिक माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं जबकि 200 से अधिक माननीय सदस्य पुनः निर्वाचित हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ।

6. माननीय सदस्यों, उत्तर प्रदेश विधान सभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज इस अवसर पर मैं उन सभी राजनेताओं का स्मरण करना चाहता हूँ जिनका उत्तर प्रदेश प्रान्त के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। में यहाँ के पूर्व विधान सभा अध्यक्षों को भी स्मरण करता हूँ, जिन्होंने इस विधान सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। हमारा दायित्व है कि हम उनकी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करें।

7. उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी इस दीर्घ लोकतान्त्रिक यात्रा में सदैव देश का मार्गदर्शन किया है, देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है। प्रदेश ने वर्तमान प्रधानमंत्री सहित देश को कुल नौ प्रधानमंत्री दिए हैं। यह दर्शाता है कि आरंभ से ही उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका रही है।

8. साथियो, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे जीवंत प्रगतिशील लोकतंत्र है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमने संसदीय लोकतंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया, जिसे आज पूरी दुनिया में शासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति माना गया है। पिछले 75 वर्षों की इस लोकतांत्रिक यात्रा में हमारा लोकतंत्र और सशक्त एवं मजबूत हुआ है एवं जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह हुआ है।

9. साथियो, आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण विधान सभा के सदस्य के रूप में चुनकर आए हैं जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है। इसलिए हमारे ऊपर अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्व को निभाते हुए इस गौरवशाली विधान सभा की उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की जिम्मेदारी है।

10. एक विधायक के रूप में आपको जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है ताकि आप उनकी समस्याओं, अभावों, उनकी चिंताओं, उनकी कठिनाइयों, उनकी अपेक्षाओं और उनकी भावनाओं को विधान सभा के माध्यम से सरकार के सामने रख सकें।

11. जैसा कि हमारे बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि हमें केवल राजनैतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का भी प्रयास करना चाहिए। जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा, तब तक हम लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला पाएंगे।

12. हमें इसी भावना से काम करना है। समाज के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है, उनकी समस्याओं, अभावों को दूर करना है, उनके आंसूओं को पोछना है। इसीलिए जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है।

13. साथियो, आपमें से कई माननीय सदस्य यहां पहली बार चुनकर आए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की जो मर्यादा हैं, परंपरा है, संसदीय नियम प्रक्रियाएं हैं, आपको उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इस सदन में जो गंभीर, सारगर्भित चर्चा संवाद हुई हैं, उन डिबेट्स को भी आपको अध्ययन करना चाहिए। अच्छा जनप्रतिनिधि वह होता है जो जनता के विषयों को मर्यादित तरीके से, नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन के समक्ष रखे।

14. उत्तर प्रदेश विधान सभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस विधान सभा ने जनहित में अनेक महत्वपूर्ण कानून पारित किए है जिनके दूरगामी परिणाम हुए हैं। ऐसे गौरवशाली विधायिका के सदस्य के रूप में आपको कानून बनाने की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो विधेयक सदन के समक्ष लाए जाते हैं, उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए।

15. जिनके लिए कानून बना रहे हैं, उनसे चर्चा संवाद करके, आप सारे विषयों पर जितना अध्ययन करेंगे, कानून बनाते समय आप अपने विचारों और सुझावों को सदन में उतनी ही स्पष्टता के साथ रख सकेंगे। सरकार भी कानून बनाते समय आपके सार्थक और महत्वपूर्ण **inputs** पर गंभीरता से विचार करेगी। तभी हम एक अच्छा कानून बना सकते हैं, जिनको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

16. कानून बनाते समय जितनी गंभीर चर्चा होगी, संवाद होगा, उतना ही अच्छा कानून बनेगा और उनसे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। क्योंकि कानून लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए, लोगों का अधिकार देने के लिए और उनके जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए होता है। कानून जितना सरल और सहज बनेगा, उतना ही सहज और शीघ्र न्याय लोगों को मिलेगा। कानून लोगों की जिंदगियों की बेहतरी करने के लिए है।

17. मैंने कई बार देखा है कि महत्वपूर्ण विषयों पर अच्छी चर्चा के दौरान भी सदन में माननीय सदस्यों की उपस्थिति कम होती है। विधान सभा मे विधायकों की उपस्थिति कम होना चिंता का विषय है। आप सदन में जितनी देर तक बैठेंगे, उतना ही आपको वरिष्ठ एवं अनुभवी विधायकों का मार्गदर्शन मिलेगा और सदन में जो चर्चा और संवाद होंगे, उससे आपको सुनने और सीखने का मौका मिलेगा, आपकी understanding बढ़ेगी। इसीलिए जनता ने हमें चुनकर भेजा है।

18. विधान मंडलों की प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता तभी होगी, जब विधान सभा के जनप्रतिनिधियों की अच्छी प्रामाणिकता होगी। सदन में जितनी अच्छी चर्चा और संवाद होगा, विधान सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा में उतनी ही वृद्धि होगी।

19. विधान सभा प्रतिनिधि संस्था है। जनप्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार से ही सदन की गरिमा बढ़ती है। इसलिए हमें सदन के अंदर आचरण के उच्चतम मानदंड अपनाना चाहिए और सदन की पवित्रता को कायम रखना चाहिए।

20. सदनों के अंदर व्यवधान उत्पन्न करने से या नारेबाजी और तख्तियां दिखाने से न तो माननीय सदस्यों को प्रतिष्ठा बढ़ती है और न ही सदन की गरिमा बढ़ती है। इसलिए, हमें ऐसी Practices को हतोत्साहित करना चाहिए। यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है।

21. यहाँ मेरा मीडिया के मित्रों से भी आग्रह है कि सदन में जब अच्छी चर्चाएँ हों, संवाद हों, तो उसको प्रमुखता से स्थान दें। शोरगुल और व्यवधान को प्रमुखता नहीं देना चाहिए। इससे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा बनेगी।

22. विधान सभाओं को अपने सदस्यों की capacity Building के लिए भी काम करना चाहिए। विधान सभाओं में Information Technology का अधिकतम उपयोग हो, इसके लिए विधायकों को training देने का काम होना चाहिए।

23. विधि निर्माण के अलावा आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि जनता के विषयों पर आप सदन के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए काम करें। सदन के माध्यम से इसकी नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन का उपयोग करते हुए आप शासन की जवाबदेही तय कर सकते हैं। आप प्रश्न काल, शून्य काल, कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट नोटिस प्रश्न जैसी संसदीय पद्धतियों से आप सदन के समक्ष जनता के हित से सम्बंधित प्रमुख विषय रख सकते हैं।

24. संसदीय समितियाँ कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने में तथा सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा में अहम भूमिका निभा रही हैं। संसदीय समितियाँ मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं।आपको समितियों की बैठकों में नियमित रूप से एवं पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लेना चाहिए।

25. विधायिका की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सभी पक्षों का सतत एवं सामूहिक प्रयास आवश्यक है। आप देखें कि किस प्रकार सरकार और विपक्ष मिलकर सभा के कार्य संचालन में रचनात्मक सहयोग देते हैं। हमें राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में सार्थक प्रयास करने होंगे तभी लोगों को अच्छे परिणाम दिया जा सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा बढ़ेगा और लोकतंत्र सशक्त होगा।

26. माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक संस्थाओं की अधिक पारदर्शिता एवं जनता को संसद से जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए विधान सभाओं का जनता से लगातार संवाद बना रहे।

27. इसके लिए हमारा प्रयास है कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक विधायी platform पर लाया जाए ताकि लोकसभा, राज्यसभा और अन्य विधान सभाओं की कार्यवाहियां, डिबेट्स, वहाँ होने वाली चर्चायें, उनकी नियम प्रक्रियायें एक स्थान पर उपलब्ध हो। ताकि हमारे जनप्रतिनिधि इनका अध्ययन कर एक तर्कपूर्ण तरीक़े से अपने बात सदनों के समक्ष रख सकें।

28. मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा की सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर डिजिटल विधान सभा के निर्माण की शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस प्रयास से देश की अन्य विधान सभाओं को भी प्रेरणा मिलेगी।

29. देश की विधायी संस्थाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हमने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए हैं। इनमें देश की विधायिकाओं के नियम प्रक्रियाओं में यथासंभव एकरूपता, संसद की गरिमा एवं प्रतिष्ठा, दल बदल क़ानून, सर्वश्रेष्ठ विधायिका, संसदीय लाइब्रेरीज़ को एक करना जैसे कई विषय हैं जिनके अंदर हम व्यापक एवं सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएँ - चाहे पंचायत हो या विधान सभा हो - सभी जनता के प्रति जवाबदेह बन पाएँगी। इससे इन संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा, विश्वास और बढ़ेगा।

30. **मुझे आशा है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम का आपको पूरा लाभ मिलेगा। सीखने की एक सतत प्रक्रिया होती है, आप अपने विचारों को साझा करते हैं, चर्चा संवाद करते हैं, अन्य विधान सभाओं का अध्ययन करते हैं। आप जितना अधिक चर्चा संवाद करेंगे आपकी कार्य कुशलता उतनी बढ़ेगी और आप जनता के जीवन में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए कार्य कर पाएँगे।**

31. मुझे विश्वास है कि प्रदेश के समावेशी विकास के लिए आपकी ऊर्जा, निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं आपके संकल्प के माध्यम से प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और इस प्रांत से पूरे देश में लोकतंत्र की एक नई चेतना का प्रसार होगा। मैं आप सभी को आपके संवैधानिक दायित्वों के सम्यक निर्वहन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद। जय हिन्द।